उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–17 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में व्यवस्था वर्णित है। तत्क्रम में गन्ना मूल्य विलम्बित करने पर चीनी मिलों को गन्ना समितियों की ओर से समय-समय पर ब्याज के बिल प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर गन्ना मूल्य का भुगतान अत्यन्त विलम्बित करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध ब्याज सहित देयता निर्धारित करते हुए वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किये जाते हैं।

गन्ना कृषकों को उनके कुल सट्टे के आधार पर जारी कैलेण्डर के अनुसार पर्चियों का निर्गमन किया जाता है। तत्क्रम में गन्ना कृषक अपने कैलेण्डर के अनुसार जारी पर्चियों पर, चीनी मिल को तिथिवार गन्ना आपूर्ति करते हैं। चीनी मिल द्वारा गन्ना आपूर्ति के क्रम में गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान किया जाता है। दिनांक 24-05-2022 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2021–22 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 3,30,916 गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य, भुगतान हेतु बकाया है।

उल्लिखित विवरण के दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

**लक्ष्मी नारायण चौधरी**

**मंत्री**

**गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।**